उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के दिनांक 28.03.2019 को सम्पन्न वित्त समिति की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 12वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.03.2019 को पूर्वाह्न 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. प्रोफेसर ओमप्रकाश सिंह नेगी, मा0 कुलपति जी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।	अध्यक्ष
2. डॉ0 सुरेश चन्द्र पन्त, निदेशक उच्च शिक्षा (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन)	सदस्य
3. श्री भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल मुख्य कोषाधिकारी, सदस्य (प्रतिनिधि सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन)	
4. प्रो0 बी.एस. पठानिया, रिटायर्ड डीन ऑफ लैग्वेज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला।	सदस्य
5. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।	सदस्य सचिव
6. श्री भरत सिंह, कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।	विशेष आमंत्रित सदस्य
7. श्री विमल कुमार मिश्र, उपकुलसचिव (वित्त) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।	आमंत्रित सदस्य

सर्वप्रथम सदस्य सचिव वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष वित्त समिति कुलपति जी ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रिया–कलापों की संक्षिप्त जानकारी सभी सदस्यों के सम्मुख रखी एवं सभी सदस्यों का पुनः स्वागत किया तत्पश्चात सदस्य सचिव वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। वित्त समिति के सम्मुख कार्यसूचीनुसार प्रस्तुत 13 प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

मद संख्या 12.01– दिनांक वित्त समिति की दिनांक–23 फरवरी, 2018 को सम्पन्न हुई ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सचिव वित्त समिति द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 11वीं बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2018 में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। प्रेषित कार्यवृत्त पर कोई सुझाव/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ, तदनुरूप समिति द्वारा सर्वसम्मिति से 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 12.02 – वित्त समिति की दिनांक– 23 फरवरी, 2018 को सम्पन्न हुई, ग्यारहवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

वित्त समिति की 11वीं बैठक में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विश्वविद्यालय स्तर से कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

मद संख्या 12.03– वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय–व्ययक का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विभिन्न मदों हेतु वांछित प्राविधान।

समिति के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2017–2018 के अंतिम अवशेष तथा 2018–2019 में अन्य स्रोतों से तथा शासन से विश्वविद्यालय को प्राप्त अनुदान का विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा बजट विवरण तालिका का अवलोकन कर आय–व्यय की पुष्टि की गयी तथा वर्ष

वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)

2019–20 में आय–व्ययक प्रस्ताव जो कि शासन प्रेषित किया गया को अनुमोदित किया गया।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बेहतर वित्तीय नियोजन, तथा विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विश्वविद्यालय के आय स्रोतों (शुल्कादि) से विभिन्न मदों में कुल धनराशि **₹ 50,2200,000/–** का प्राविधान किये जाने को औचित्यपूर्ण मानते हुए मद संख्या 01 से 51 के बजट प्राविधान विवरण का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 12.04– **वित्तीय वर्ष 2018–2019 में निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि के संदर्भ में।**

समिति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए अतिशीघ्र शासन को बजट अवमुक्त करने हेतु पत्राचार करने के निर्देश दिए, समिति द्वारा सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु **₹ 22,20,00,000/–** के आंगणित बजट प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण मानते समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मद संख्या–12.05– **भारतीय पुनर्वास परिषद एवं सैमका (वैल्कम टू कॉमनवैल्थ एजुकेशन मीडिया सेन्टर फार एशिया), एन.आई.एस.डी. परियोजनाओं में प्राप्त अनुदान एवं व्यय का विवरण**

समिति के समक्ष वर्ष 2018–2019 में भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली एवं कॉमन वेल्थ एजुकेशन मीडिया सेन्टर तथा यूसर्क द्वारा प्राप्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आय–व्यय विवरण का अवलोकन कर सहमति प्रकट की गयी।

मद संख्या 12.06– **राजकीय वाहन चालकों के अनुरूप उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के वाहन चालकों को एक माह के वेतन के समतुल्य धनराशि अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।**

विश्वविद्यालय में कुल 03 नियमित चालक हैं जो अवकाश दिवसों यथा द्वितीय शनिवार, रविवार एवं अन्य अवकाश दिवसों में भी विश्वविद्यालय कार्यानुसार अपरिहार्य परस्थितियों में कार्य सम्पादित करते हैं। यद्यपि विश्वविद्यालय चालकों को राजकीय चालकों के श्रेणी में नहीं

वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)

माना गया है तथापि उनकी कार्य प्रवृत्ति राजकीय चालकों के समतुल्य ही है।

अतः वित्त समिति के द्वारा यह मत व्यक्त किया कि नियमित वाहन चालको को राजकीय वाहन चालको की भांति वित्तीय वर्ष में एक बार मानदेय के रूप में एक माह का मूल वेतन, तथा तदसमय प्रचलित महंगाई भत्ताा अनुमन्य किये जाने पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।

मद संख्या 12.07 – **उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में संविदा कार्यरत शिक्षकों (अकादमिक परामर्शदाताओं) की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्रांक संख्या–F.25-1/2018(PS/MISC.) दिनांक 28.01.2019 के आधार पर मानदेय वृद्धि पर विचार।**

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक क्रिया–कलापों के सुचारू संचालन हेतु नियोजित किये गये अकादमिक परामर्शदाताओं/अकादमिक एसोसिएटस के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव पर समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सुझाब दिया गया कि जो अकादमिक परामर्शदाता/अकादमिक परामर्शदाता को दिए जा रहे मानदेय में भिन्नताएं हैं अतः अकादमिक परामर्शदाता/अकादमिक एसोसिएटस के मानदेय में स्पष्ट एकरूपता कर ली जाए, जिसमें यू0जी0सी0 की सेवा शर्तों एवं अर्हताओं को पूरा करने वाले अकादमिक परामर्शदाताओं/एसोसिएटस को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर धनराशि रू0 35000 एवं जो अकादमिक परामर्शदाता/एसोसिटस यू0जी0सी0 की योग्यताएं यू0जी0सी0 की योग्यताओं से कम है उन्हें धनराशि रू0 25000 दिये जाने पर विचार किया जाए। साथ ही विश्वविद्यालय के परिनियमों एवं अध्यादेशों में यथा वांछित संशोधन कर कार्यपरिषद से अनुमति प्राप्त कर ली जाए। दरों को लागू करने से पूर्व शासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

मद संख्या–12.08 **परीक्षा समिति की नौवीं बैठक दिनांक 22.02.2019 के वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्तावों पर विचार।**

परीक्षा समिति की दिनांक 22.02.2019 को सम्पन्न 9वीं बैठक में पारित संकल्पों के निम्न बिन्दुओं पर विचार हेतु प्रकरण वित्त समिति विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

(क)

विचार हेतु प्रेषित बिन्दु	टिप्पणी
(क) बाहर जाने वाले विद्यार्थियों से अंकतालिका जारी करने हेतु ₹ 500 शुल्क लिये जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
(ख) परीक्षा केन्द्रों को दिये जाने वाले तैनाती मानकों में संशोधन हेतु सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाओं के दौरान विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सहयोग करने वाले प्राध्यापकों, कर्मचारियों के प्रतिदिन आकस्मिक व्यय को ₹ 50 से ₹ 100 किए जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
(ग) प्रवेश परीक्षा हेतु सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति किये जाने व ₹ 1500/– के आधार पर भुगतान किये जाने के संबंध में विचार।	कार्येत्तर स्वीकृत/अनुमोदित किया गया।
(घ) विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले परीक्षकों हेतु स्थानीय यात्रा ₹ 500 दिये जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यो हेतु परीक्षा केन्द्रों को देय भुगतान राशि की दरों को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

परीक्षा विभाग द्वारा परीक्षा कार्यों से संबंधित इग्नू की दरों को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। दरों का विवरण निम्नानुसार है–

S.N.	Description	Details	Revised Rate per Session
1	Centre Superintendent	One per Session	Rs 500-/
2	Deputy Centre Superintedent	Up to 500 canditates-Nil 501-1000 Candites-1 1001-1500 candidates-2 & so on per Session	Rs 450-/
3	Invisilators	One for every block of 25 candidates per session	Rs 400-/

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)

4	Relieving Invigilator	Up to 500 candidtes-1 501-1000 candidates-2 1001-1500 candidates-3 & so on per session	Rs 400-/
5	Assistant	One Per session	Rs 350-/
6	Class IV/Group D Attendant Chowkidar House Keeping Staff Attendant Water	Per Session 1 1 1 for every block of 100 candidates per session	Rs 200-/ Rs 200-/ Rs 200-/ Rs 200-/
7	Seating Arrangment & Room Rent	Rater per Student	Rs 16-/per session for the number of registered candidate)Rs-6/for Seating arrangement and Rs10-/ for room rent,furniture and electricity Charges
8	Contingent Charges	As per Actual	Rs 500-/
9	Postal Charges	As per Actual	Rs 500-/
10	Amanuensis/Scribe	Rs 70/-	

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य दरें विश्वविद्यालय में इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य किये जाने पर विचार किया कि दोनों ही विश्वविद्यालय की परीक्षा पद्धति में समरूपता हो तथा उसे उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में लागू किये जाने से किसी वित्तीय प्राविधान का उल्लघंन न होता हो।

(ग) वित्त समिति की 11वीं बैठक के प्रस्ताव सं0 11.10 विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जा रहे विशेष मानदेय दिये जाने पर पुनर्विचार।

वित्त समिति की ग्यारवीं बैठक दिनांक 23.02.2018 में परीक्षा नियंत्रक, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, जनसंपर्क अधिकारी एवं समूह 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों को विशेष मानदेय दिये जाने का अनुमोदन किया गया था। समय–समय पर विश्वविद्यालय

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)

में कार्यरत अधिकारियों, तकनीशियनों एवं समूह 'ग'/'घ' के कार्मिकों द्वारा मानदेय भुगतान को पुनः परिभाषित की मांग समय–समय पर की गयी है।

मानदेय की दरें निम्नानुसार हैं–

कार्मिकों की श्रेणी	पाचंवी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरें	11वीं वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरें
परीक्षा नियंत्रक	₹ 15000	₹ 15000
कुलसचिव/वित्त नियंत्रक	₹ 5000	₹ 7500
सहायक परीक्षा नियंत्रक	₹ 10000	₹ 10000
उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव/जनसंपर्क अधिकारि आदि	₹ 5000	₹ 7000
समूह 'ग'	वेतन का 10 %	₹ 6000
समूह 'घ'	वेतन का 10 %	₹ 5000

उक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा 11वीं वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरों को तीन वर्ष हेतु निर्धारित करने का अनुमोदन दिया गया। पूर्व में जिन कार्मिकों मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें मानदेय का एरियर दिए जाने के प्रश्न पर विस्तृत चर्चा एवं सम्यक विचारोपरांत मानदेय एरियर स्वीकृत न किये जाने पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।

(घ) वित्तीय वर्ष 2018–19 में परीक्षा मद में प्राप्त आय–व्यय के विवरण पर विचार एवं अनुमोदन।

वित्तीय सत्र 2018–19 में 28.03.2019 तक परीक्षा से प्राप्त आय एवं परीक्षा कार्य में व्यय हुई धनराशि का विवरण –

क0स0	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
1.	गोपनीय कार्य मुद्रण	13507544.00
2.	ओ0एम0आर0,मार्कशीट,डिग्री मुद्रण	1042082.00
3.	उत्तरपुस्तिका एवं अन्य परीक्षा प्रपत्र मुद्रण	3312926.00
4.	परीक्षा केन्द्र	13492642.00
5.	प्रश्नपत्र निर्माण पारिश्रमिक	1756000.00

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)

6.	विश्वविद्यालय कार्मिक जिन्हें परीक्षा कार्य हेतु भेजा जाता है	742250.00
7.	औचक निरीक्षण कार्य	572529.00
8.	प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षा एवं परियोजनाकार्य	250000.00
9.	उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन	5528266.00
	कुल योग	₹ 40204239.00

वित्तीय वर्ष 2018–19 में परीक्षा कार्यों हेतु पर उपरोक्त व्यय को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–12.09 **यात्रा भत्ता एवं अन्य देयकों में सक्षम स्तर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।**

समिति को अवगत कराया कि कि यात्रा भत्ता एवं अन्य देयकों को उस कार्मिक अथवा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जा रहा है जो न तो प्रभारी अधिकारी है और न ही सक्षम अधिकारी। वित्तीय नियमों के अनुसार देयकों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना वांछित होता है।

अतः वित्तीय नियमों के परिपालन हेतु वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक देयक जिसमें यात्रा भत्ता देयक भी सम्मिलित है को संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी, अथवा संबंधित विद्याशाखा के निदेशक/कुलपति द्वारा नामित कार्यवाहक अध्यक्ष/प्रभारी द्वारा ही प्रतिहस्ताक्षरित किया जाये एवं वित्तीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)

मद संख्या 12.10— **प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की विषय परिवर्तन, शुल्क वापसी पर विचार एवं अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क ढांचे में संशोधन विषयक प्रस्ताव क्रम संख्या--01 से 12 तक पूर्व कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त प्रक्रिया को विश्वविद्यालय में लागू किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नलिखित है–

1. ऐच्छिक विषय तथा माध्यम में परिवर्तन हेतु अध्ययन सामग्री प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्तर्गत परिवर्तन कराने पर वर्तमान में ₹ 300/ की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा करना होता था, जिसे छात्रहित में ₹ 200/– कर दिया गया है।

2. पाठ्यक्रम में विषय परिवर्तन के लिए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में विद्यार्थी परिवर्तन हेतु अध्ययन सामग्री प्राप्त होने के 30 दिनों के अंतर्गत परिवर्तन कराने पर वर्तमान में ₹ 1500/– की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा करना होता था, जिसे छात्रहित में ₹ 500/– कर दिया गया है।

3. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में शीतकालीन सत्र के प्रावधान को समाप्त कर केवल वर्ष में एक बार नवीन प्रवेश ग्रीष्मकालीन सत्र में करने का प्रावधान लागू किया गया है।

4. विद्यार्थी की शुल्क वापसी केवल उसी सत्र में मान्य होगी जिस सत्र में उसने प्रवेश लिया है।

5. प्रवेश की अन्तिम तिथि के दो माह के भीतर शुल्क वापसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये।

6. किसी कार्यक्रम में प्रवेश में यदि तकनीकी कारणों से डिजिटल भुगतान दो बार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक भुगतान वापस किया जायेगा।

7. शुल्क वापसी के ऐसे आवेदन पत्र जिनका शुल्क भुगतान चालान द्वारा किया गया हो, यदि एस.आई.एस. में प्रविष्टि से पहले प्राप्त हो जाते हैं तो सम्पूर्ण शुल्क की वापसी की जायेगी।

8. विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम न चलाया जा रहा हो तो सम्पूर्ण शुल्क की 95 प्रतिशत की वापसी की जायेगी।

9. यदि विद्यार्थी द्वारा अध्ययन सामग्री दिये जाने के पूर्व प्रवेश निरस्त हेतु अनुरोध किया गया हो तो सम्पूर्ण शुल्क का 90 प्रतिशत वापस किया जायेगा।

10. अध्ययन सामग्री दिये जाने के पश्चात यदि विद्यार्थी द्वारा प्रवेश निरस्त एवं शुल्क वापसी हेतु अनुरोध किया गया हो तो ऐसे आवेदन पर सम्पूर्ण शुल्क का 50 प्रतिशत वापस किया जायेगा यदि विद्यार्थी द्वारा पुस्तकें वापस कर दी गई हों।

11. अनुचित/असत्य/अयोग्य प्रमाणपत्रों के आधार पर लिए गये प्रवेश को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने पर शुल्क वापसी नहीं होगी।

Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

12. सम्पूर्ण शुल्क का तात्पर्य समस्त शुल्क से है जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम, प्रोजेक्ट , कार्यशाला, परीक्षा, प्रयोगात्मक, मौखिकी, डिग्री और विविध शुल्क सम्मिलित हैं।

समिति द्वारा उपरोक्त क्रमांक 01 से 12 तक कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या 12.11– **अध्ययन केन्द्रों के स्थलीय निरीक्षण हेतु यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं मानदेय यू0जी0सी0 के विनियम 2017 में दिये गये प्राविधान/मानकों के अनुरूप दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

निदेशालय, क्षेत्रीय सेवायें द्वारा अध्ययन केन्द्रों के संचालन हेतु स्थलीय निरीक्षण विशेषज्ञ समिति के आन्तरिक एवं बाह्य सदस्यों को यू0जी0सी0 के पत्र संख्या– F.No. 21-1/2015(FD-1/B) दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के अनुसार मानदेय, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि योजना बोर्ड/अध्ययन बोर्ड/मान्यता बोर्ड/विद्या परिषदपरिषद/परीक्षा समिति एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं स्थलीय निरीक्षण समिति के केवल बाह्य सदस्यों को मानदेय रू0 2000 दिया जाये तथा वाह्य विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर स्तर से कम का न हो। यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उत्तराखण्ड राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप दिये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

मद संख्या 12.12– **विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश आवदेन पत्रों एवं सत्रीय कार्य के अंकों की प्रविष्टि हेतु प्रति आवेदन पत्र क्रमशः रूपया 5.00 तथा रूपया 0.50 पैसा (पचास पैसा) प्रति विषय अनुमन्य किये जाने पर विचार।**

समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश विभिन्न अध्ययन केन्द्रों में किया जाता है। अतः प्रवेश संबंधी आवेदन पत्र संबंधित अध्ययन केन्द्रों पर ही प्राप्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययन केन्द्रों पर पंजीकृत छात्रों के सत्रीय कार्य के प्राप्तांकों का भी अंकन संबंधित अध्ययन केन्द्रों द्वारा किया जाता है।

केन्द्रों पर विश्वविद्यालय के कार्मिक कार्यरत नहीं है अपितु यह कार्य संबंधित अध्ययन केन्द्र के कार्मिकों द्वारा अपने सामान्य कार्य दायित्वों के अतिरिक्त है।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)

अतः समिति द्वारा विस्तृत विचारोपरांत अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश आवेदन पत्रों की प्रविष्टि हेतु रूपया 5.00 प्रति आवेदन पत्र तथा सत्रीय कार्यों की प्रविष्टि हेतु रूपया 0.50 पैसा (पचास पैसा) प्रति विषय अनुमन्य कराये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 12.13— **वित्तीय वर्ष 2017—2018 के वार्षिक लेखों का अवलोकन।**

समिति द्वारा पताका **'क', 'ख' एवं 'ग'** पर संलग्न विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017—18 के वार्षिक लेखे का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया गया तथा विश्वविद्यालय के खातों की संख्या कम किये जाने का सुझाब दिया गया इसके साथ ही समिति द्वारा समस्त सावधि जमा खातों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखने का अनुमोदन दिया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

(क) विश्वविद्यालय के नियमित वाहन चालकों को वर्दी दिये जाने पर अनुमोदन

समिति के समक्ष विश्वविद्यालय के नियमित वाहन चालकों को राजकीय वाहन चालकों के समान ग्रीष्म कालीन एवं शीतकालीन वर्दी दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर सम्यक विचारोपरांत अनुमोदन दिया गया।

(ख) परीक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने पर अनुमोदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य ही परीक्षा कार्यों को सम्पादित करना होता है, जिस हेतु कार्मिकों को अवकाश दिवसों में भी अतिरिक्त कार्य करना होता है। अतः परीक्षा माहों में ही परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति एवं कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत समूह 'ग' एवं समूह 'घ' को प्रोत्साहन राशि रू0 2500 मात्र दिये जाने का अनुरोध किया गया। सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षा माहों में कार्मिकों की कार्य दायित्व के अनुसार परीक्षा नियंत्रक द्वारा कार्मिकों के कार्य का अनुश्रवण किया

वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)

जायेगा एवं एतदनुरूप ही परीक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के नामों की संस्तुति प्रोत्साहन धनराशि हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा की जायेगी, जिस पर कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

बैठक के अन्त में सभी सदस्यों का सचिव, वित्त समिति द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

सचिव,
वित्त समिति
वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

अध्यक्ष
वित्त समिति
Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (U.K.)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्याल,

हल्द्वानी जिला नैनीताल।

दिनांक 28.03.2019 को वित्त समिति की बारहवीं बैठक कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार में प्रातः 11:30 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्न बाह्य एवं आन्तरिक सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किय गया–

01.– **प्रो0 ओमप्रकाश सिंह नेगी** — अध्यक्ष
कुलपति एंव अध्यक्ष
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

02– **डॉ0 सुरेश चन्द्र पन्त,** — सदस्य
निदेशक उच्च शिक्षा,
(प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन)

03.– **श्री भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल** — सदस्य
मुख्य कोषाधिकारी, रूद्रपुर
(प्रतिनिधि सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन)

04.– **डॉ बी0 एस0 पठानिया,** — सदस्य
रिटायर्ड डीन ऑफ लैग्वेज,
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी
शिमला

05– **श्रीमती आभा गर्खाल** — सदस्य सचिव
वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

06.– **श्री भरत सिंह** — विशेष आमंत्रित सदस्य
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

07.– **श्री विमल मिश्र**
उपकुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

28/3/2019

प्रतिभाग किया जाता है अतः सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा वित्त समिति की बैठक में प्रतिभाग करने वाले वाह्य सदस्यों को धनराशि ₹ 3000/– की सीमा तक मानदेय स्वीकृत किया गया।

बैठक के अन्त में सभी सदस्यों का सचिव, वित्त समिति द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

सचिव,
वित्त समिति
Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani (Nainital)

अध्यक्ष
वित्त समिति
Prof. Nageshwar Rao
Vice Chancellor
Uttarakhand Open University
Haldwani, Nainital (UK.)